ग्राम पंचायत मवा कहोलां, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत मवा कहोलां, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक के लेखों का प्रथम अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती मीना कुमारी	01.04.2024 से 31.03.2025 तक

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री शमशेर सिंह	01.04.2024 से 31.03.2025 तक

(ख़) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत मवा कहोलां के लेखों अवधि 01.04.24 से 31.03.25 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1)	6.1	अनुदान उपयोग हेतु शेष।	15.82
2)	7.1	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष।	0.53

3)	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना		0.04
4)	8.1	खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना अनियमित भुगतान करना		1.08
5)	8.2	क्रय की गई निर्माण सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना		0.67
6)	8.3	स्त्रोत पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना		0.15
7)	8.4	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष से अधिक / अनियमित व्यय करना		0.02
8)	9	व्यय के समर्थन से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना		0.60

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत मवा कहोलां, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री देव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 12/08/2025 से 19/08/2025 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया | आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2024-25	01/2025	03/2025

अस्वीकरण :- "इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है | पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत मवा कहोलां, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹4000** आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 491/2025 दिनांक 19/08/2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत मवा कहोलां द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित दौलतपुर चौक के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 321789 दिनांक 20/08/2025 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4.1 (क) वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत मवा कहोलां द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 475/2025 दिनांक 14/08/2025 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/24 से 03/25 तक के लेखों की **संकलित वित्तीय स्थिति** निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान तीन रोकड़ बहियों अर्थात् स्वः स्त्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित रोकड़ बही) Online, स्वच्छ भारत मिशन (PFMS) Online व मनरेगा (online) का रख-रखाव किया गया था।

संकलित वित्तीय स्थिति (15वां वित्तायोग सहित समेकित)						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (₹) (3+4)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शे (₹) (5-6)**
1	2024-25	3761693.18	6975142.28	10736835.46	6641560.28	4095275.1

नोट:- 15वें वित्तायोग शीर्ष के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक का अंकेक्षण, ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल (auditonline.gov.in) के माध्यम से किया गया है, जिससे सम्बन्धित अंकेक्षण आपत्तियां भी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है |

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत मवा कहोलां के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.25 को **निम्नानुसार** रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर शून्य था :-

1)	दिनांक 31.03.25 को रोकड़ बही खाता पैरा 4.1(क) का अंतशेष	4095275.18
2)	दिनांक 31.03.25 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1 अनुसार)**	**4095179.18**
3)	दिनांक 31.03.25 को हस्तगत राशि	96.00
4)	**योग (2+3)**	**4095275.18**
5)	**अन्तर (4-1)**	**0.00**

4.2 स्व: स्त्रोत निधि के लिए स्वतंत्र खाते का संचालन न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) की अनुपालना में पंचायत निधियों के लिए स्वतंत्र खाता "क" (स्व: स्त्रोतों के लेन-देन हेतु) खोला जाना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्व: स्त्रोत / सामान्य निधि व अन्य निधियों का संचालन एक ही बैंक खाते द्वारा किया जा रहा है | अत: खाता "क" के लिए स्वतंत्र रूप से बैंक खाते के साथ रोकड़ बही का संचालन न किए जाने के कारण पंचायत की स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति को अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाया जाना सम्भव नहीं हो सका |

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 475/2025 दिनांक 14/08/2025 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/MK/2025-26/60 दिनांक 19/08/2025 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/24 से 03/25 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹15.82 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 475/2025 दिनांक 14/08/2025 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **[परिशिष्ट क 1(a)]** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक अनुदान (15वें वित्तायोग के अतिरिक्त) में स्वः स्त्रोत सहित प्राप्त राशियों में **₹1581863.18** की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है । अत: उक्त वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 475/2025 दिनांक 14/08/2025 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या GP/MK/2025-26/60 दिनांक 19/08/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु जिम्मेवार होगा । अंकेक्षण अधियाचना संख्या 475/2025 दिनांक 14/08/2025 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या GP/MK/2025-26/60 दिनांक 19/08/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश

/ स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अतः अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹0.53 लाख की वसूली हेतु शेष :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था | पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 475/2025 दिनांक 14/08/2025 के क्रम संख्या 4 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या GP/MK/2025-26/60 दिनांक 19/08/2025 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2025 तक पंचायत राजस्व गृहकर की राशि **₹53050 (परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2024-25	33500	81400	114900	61850	53050

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.04 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200

प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है, जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹4200 सलंग्न परिशिष्ट "ग" अनुसार** वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण नीचे भी दिया गया है :-

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)**
1	2024-25	4200

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 481/2025 दिनांक 14/08/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/MK/2025-26/62 दिनांक 19/08/2025 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8.1 खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना ₹1.08 लाख का अनियमित भुगतान:-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वित्तीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स ई.एन. (आर.डी.एवं पी. आर.)-डी.बी. जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हि० प्र० के आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार / विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी कि कटौती नहीं की जाएगी तथा भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू' प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के चयनित माह 03/2025 में **निम्न विवरणानुसार ₹108338.96** की निर्माण सामग्री रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि के बिलों के साथ उक्त फार्म सलंग्न नहीं थे | अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 482/2025 दिनांक 18/08/2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या GP/MK/2025-26/62 दिनांक 19/08/2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण उक्त ट्रांजिट पास फार्म डब्ल्यू या सप्लीमेंटरी पास फार्म एक्स सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से नहीं लिए गए हैं, जिन्हें भविष्य में नियमानुसार लेकर ही भुगतान किया जाएगा | उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को किया गया सम्पूर्ण भुगतान नियमों के विपरीत एवं अनियमित प्रतीत होता है |

अत: **₹108338.96** के अनियमित भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अथवा किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	**योजना**	**कार्य का नाम**	**बिल संख्या /दिनांक**	**आपूर्तिकर्ता**	**सामग्री**	**राशि (₹)**
1	VKVNY	निर्माण पक्का रास्ता पुली से विनय कुमार के घर तक	4948 08-07-2024	M/S Nainika Stone Crusher	रेत, बजरी इत्यादि	3349.66
2	VKVNY	कम्पलीशन सामुदायिक भवन दलित वस्ती वार्ड नंबर 4	4957 01-10-2024	M/S Nainika Stone Crusher	रेत, बजरी इत्यादि	6249.32
3	SDP	निर्माण पक्का रस्ता मिरघू घट्टा से मोहल्ला जरियाला वार्ड नंबर 5	5821 01-01-2025	M/S Nainika Stone Crusher	रेत, बजरी इत्यादि	26847.08
4	SDP	मुरम्मत रास्ता सुखदेव मालिया के गहर से मोहल्ला कुंए वाला वार्ड नंबर 7	5834 11-02-2025	M/S Nainika Stone Crusher	रेत, बजरी इत्यादि	17748.38
5	Relief	मुरम्मत रास्ता मेन रोड से विजय कुमार के घर तक मोहल्ला नदौनिया वार्ड नंबर 7	5830 06-02-2025	M/S Nainika Stone Crusher	रेत, बजरी इत्यादि	17798.26
6	Relief	मुरम्मत कमरा GPS	5329	M/S Nainika	रेत, बजरी	9549.10

			17-11-2024	Stone Crusher	इत्यादि	
7	Own	निर्माण सामुदायिक शौचालय नजदीक सराये बैधा वार्ड नंबर 2	5316 10-11-2024	M/S Nainika Stone Crusher	रेत, बजरी इत्यादि	7599.16
8	Own	निर्माण सामुदायिक शौचालय नजदीक सराये बैधा वार्ड नंबर 2	5810 30-11-2024	M/S Nainika Stone Crusher	रेत, बजरी इत्यादि	5599.42
9	Own	fनिर्माण सामुदायिक शौचालय मोहल्ला बडेयां वार्ड नंबर 5	5824 15-01-2025	M/S Nainika Stone Crusher	रेत, बजरी इत्यादि	13598.58
					योग	**108338.96**

8.2 ₹0.67 लाख सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 और 72 के अनुसार स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव व स्टोर / स्टॉक की प्राप्ति व खपत सम्बन्धी अभिलेख तैयार किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 के चयनित माह 03/2025 में **निम्न विवरणानुसार ₹66933.00** की सामग्री का क्रय किया गया था, लेकिन उक्त क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं था | उपरोक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 483/2025 दिनांक 18/08/2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया | प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/MK/2025-26/62 दिनांक 19/08/2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में कर ली जाएगी | अत: वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय की गई सामग्री की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने के उपरांत सत्यापनार्थ हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

क्रमांक	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या व माह	बिल संख्या व दिनांक	फर्म / व्यक्ति का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	VKVNY	P/31 03/25	542 15.01.25	Parmar Weldinh works Mawa Kahilan	Sheets, Nail, Pipes etc	35016
2	Own	P/73	शून्य	Sharma Electrical	Electric	2285

		03/25	15.02.25	Mawa Kaholan	Material	
3	VKVNY	P/38 03/25	2501 15.03.25	SHWETA HARDWARE STORE VPO AMBOA	PAINT MATERIAL	7121
4	OWN	P/87 03/25	2503-2504 16.03.25	SHWETA HARDWARE STORE VPO AMBOA	Sanitary material	18611
5	OWN	P/88 03/25	2502 15.03.25	SHWETA HARDWARE STORE VPO AMBOA	PAINT MATERIAL	3900
					योग	**66933**

8.3 स्रोत पर ₹0.15 लाख की जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है | परन्तु अंकेक्षण दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति के लिए **परिशिष्ट "घ"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार **₹770851.80** (जी.एस.टी. को छोड़कर) भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर **₹15417.03** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है |

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)	योग (₹)	जी.एस.टी.टी.डी.एस. की कटौती योग्य राशि (2%) (₹)
1	2024-25	M/s Nainika Stone Crusher VPO Kadh	Sand, Agg.	418219.80	418219.80	8364.39

2	2024-25	Rashpal Singh S/O Ran Singh	Carriage	352632.00	352632.00	7052.64
				योग	**770851.80**	**15417.03**

अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 485/2025 दिनांक 18/08/2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या GP/MK/2025-26/62 दिनांक 19/08/2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित **₹15417.03** जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नहीं की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है । अत: जी.एस.टी.टी.डी.एस. की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित राशि की वसूली सम्बन्धित फर्मो / व्यक्तियों से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8.4 स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष से करवाए गये कार्य में प्रयुक्त निर्माण सामग्री सीमेंट को खपत से अधिक जारी करने के कारण ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान करना :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 के माह 03/2025 में **निम्न विवरणानुसार स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष** से करवाए गए कार्य के मूल्यांकन से सम्बन्धित माप पुस्तिका की जाँच दौरान पाया गया कि माप पुस्तिका में निर्माण सामग्री सीमेंट का निष्पादन कम किया गया दर्शाया गया था, जबकि इस कार्य के लिए निर्माण सामग्री का क्रय आवश्यकता से अधिक किया गया था और शेष बची हुई सामग्री को सामग्री स्टॉक रजिस्टर में भी वापिस नहीं लिया गया था | इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा **निम्न विवरणानुसार** सामग्री को खपत से अधिक जारी करने के कारण **₹2233** का अधिक भुगतान किया गया था |

क) कार्य का नाम :- R/O Building Jagriti Mahila Mandal ward no 3 (VKVNY)

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	**मद का नाम**	**मात्रा (घन मीटर)**	**सीमेंट**
4630, 84	P/L CC 1:2:4	0.11	0.70
85	RCC 1:2:4	0.39	2.49
86	BW1:6	0.032	0.03
86	HBW 1:4	9.76	2.07

87	15MM PLASTER 1:6	32.76	2.81
87	GLAZED TILE 1:3	27.44	5.84
88	SKIRTING TILES 1:3	3.34	0.71
		योग	**15 बैग**
	ग्राम पंचायत द्वारा जारी / खपत मात्रा		**21 बैग**
	अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री		6 बैग
	क्रय दर		372.14 प्रति बैग
	अधिक भुगतान		**2233**

उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 486/2025 दिनांक 18/08/2025 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया । प्रत्युत्तर में पत्र संख्या GP/MK/2025-26/62 दिनांक 19/08/2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि **₹2233.00** को स्व: स्त्रोत निधि लेखे से सम्बन्धित बैंक खाते में दिनांक 19.08.2025 को जमा करवा दिया गया है, जिसकी जमा बारे पुष्टि बैंक पासबुक से अंकेक्षण दौरान कर ली गई है | अत: भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता को न दोहराया जाए |

9 ₹0.60 लाख के व्यय के समर्थन से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 03/2025 में **निम्न विवरणानुसार** स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष से करवाए गए कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों व मस्ट्रोलों के अन्तर्गत **₹59927** का भुगतान किया गया था | उपरोक्त उल्लेखित कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण अधियाचना संख्या 484/2025 दिनांक 18/08/2025 द्वारा सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/MK/2025-26/62 दिनांक 19/08/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जाएंगी । नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना अनियमित व आपत्तिजनक है | अत: किए गए कार्यों मूल्यांकन की जाँच अंकेक्षण दौरान सम्भव न हो सकी है | अतः अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

क्रम संख्या	शीर्ष	कार्य का नाम	बिल / मस्ट्रोल संख्या व दिनांक	सामग्री	राशि (₹)
1	Own / GIA	Complition of community bhawan near CAS Mawa Kaholan	542 15.01.25	Sheets, Nail, Pipes etc	35016
2	Own / GIA	C/O CSC MOHALLA BDEYAN WARD NO. 5	2503-2504 16.03.25	SANITARY MATERIAL	18611
3	OWN	COMPLETION CSC SUNIYARAN DI CHHAPDI	2502 15.03.25, 29942 (20.03.25 TO 22.03.2025)	पेंट सामग्री, मजदूरी	6300
				योग	**59927**

10 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 476/2025 दिनांक 14/08/2025 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या GP/MK/2025-26/61 दिनांक 19/08/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	बजट प्राकलन	11	37
4	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
5	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
6	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
7	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
8	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103
9	बिल रजिस्टर	13	48

11 **प्रत्यक्ष सत्यापनः-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 475/2025 दिनांक 14/08/2025 के क्रम संख्या 7 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या GP/MK/2025-26/60 दिनांक 19/08/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 **लघु आपत्ति विवरणिकाः-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

13 **निष्कर्षः-** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

14 OCT 2025

का०/प्रति

(कृष्ण लाल नेगी) 14.X.25
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

6584 – 6588

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(5)131/2025–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत मवा कहोलां, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

14 OCT 2025

(कृष्ण लाल नेगी) 14.X.25
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का०/प्रति

परिशिष्ट "क" पैरा संख्या 4.1 (क) में संदर्भित

ग्राम पंचायत मवा कहोलां, विकास खण्ड गगरेट व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की संकलित वित्तीय स्थिति (1+2+3)

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	3761693.18	6975142.28	10736835.46	6641560.28	4095275.18

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Mawa Kaholan
Block Dev. Gagret
Teh. Ghanari Distt. Una (H.P.)

ग्राम पंचायत मवा कहोलां, विकास खण्ड गगरेट व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

1) स्वयं स्त्रोत व अनुदान 15वां वित्तायोग सहित (समेकित) Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	3761693.18	4490005	8251698.18	4156423	4095275.18

1 (a) स्वयं स्त्रोत व अनुदान 15वां वित्तायोग के अतिरिक्त (समेकित) Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	2351414.18	1953292	4304706.18	2722843	1581863.18

1 (b) 15वां वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	1410279	2536713	3946992	1433580	2513412

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Mawa Kaholan
Block Dev. Gagret
Teh. Ghanari Distt. Una (H.P.)

2) मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	0	2215865.28	2215865.28	2215865.28	0

3) स्वच्छ भारत मिशन (PFMS) (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	0	269272	269272	269272	0

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Mawa Kaholan
Block Dev. Gagret
Teh. Ghanari Distt. Una (H.P.)

17

19

1)	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बही खाता पैरा 4.1 (क) का अंतशेष	4095275.18
2)	दिनांक 31.03.2025 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1)**	**4095179.18**
3)	दिनांक 31.03.2025 को हस्तगत राशि	96.00
4)	**योग (2+3)**	**4095275.18**
5)	**अन्तर (1-4)**	**0.00**

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Mawa Kaholan
Block Dev. Gagret
Teh. Ghanari Distt. Una (H.P.)

18

परिशिष्ट क-1 पैरा संख्या 4.1 (क) के सन्दर्भ में

दिनांक 31.03.25 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB DAULTPUR CHOWK (OWN &GIA)	20014009373	1579635.18
	HDFC GAGRET (SBM)	50100386655101	2132.00
	HDFC GAGRET (15TH FC)	50100339391908	2513412.00
		योग	**4095179.18**
2		**हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)**	96.00
		योग (1+2)	**4095275.18**

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Mawa Kaholan
Block Dev. Gagret
Teh. Ghanari Distt. Una (H.P.)

परिशिष्ट "ख" पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत मवा कहोलां, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2024-25	33500	81400	114900	61850	53050

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Mawa Kaholan
Block Dev. Gagret
Teh. Ghanari Distt. Una (H.P.)

परिशिष्ट 'ग' पैरा संख्या 7.2 के सन्दर्भ में (22)

अकेंक्षण अवधि 01 / 04 / 2024 से 31 / 03 / 2025 तक पंचायत द्वारा विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप वसूल की गई राशि का विवरण

क्रम संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	कम वसूली गई राशि	रोकड वही पेज संख्या
1	इशान कहोल	18.04.2024	23.04.2024	100467	200	200	0	08
2	संजय कुमार	18.04.2024	16.05.2024	100473	200	200	0	18
3	गिरिश रतन	20.11.2021	30.05.2024	100475	400	400	0	21
4	दीपक शर्मा	08.08.2024	24.08.2024	100501	200	200	0	36
5	राज कुमार	04.12.1984	07.09.2024	100503	400	400	0	38
6	सुरेन्द्र कुमार	07.08.2024	13.09.2024	100504	400	400	0	42
7	विनोद कुमार	09.10.2024	19.10.2024	100506	200	200	0	52
8	मनोज कुमार डोगरा	06.06.2009	19.10.2024	100507	400	400	0	52
9	शुभम धीमान	27.11.2024	13.12.2024	100543	200	200	0	62
10	हन्नी वशिष्ट	17.11.2024	13.12.2024	100542	200	200	0	62
11	रमिन्द्र कुमार रतन	09.03.1988	18.01.2025	101001	400	400	0	74
12	अरुण शर्मा	30.01.2025	20.02.2025	101043	200	200	0	75
13	हर्ष बर्धन	23.03.2025	01.03.2025	101049	200	200	0	81
14	स्माईल कहोल	20.02.2025	13.03.2025	101072	200	200	0	91
15	सचिन शर्मा	14.02.2025	21.03.2025	101078	400	400	0	94
				कुल योग	**4200**	**4200**		

mawa

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Mawa Kaholan
Block Dev. Gagret
Teh. Ghanari Distt. Una (H.P.)

21

परिशिष्ट 'ч' पैरा संख्या 43 के सन्दर्भ म

वित् वर्ष 2024-25 में **M/S Nainika Stone Crusher** भंजाल को रेत, बजरी के क्रय हेतु किए गये भुगतान की सूचि

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या	बिल संख्या	दिनांक	राशि (GST को छोडकर)
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	VKVNY/8	3844	01/04/2024	3514.50
2	यथोपरि	VKVNY/11	3577	20/01/2024	3276.50
3	यथोपरि	VKVNY/28	4946	23/06/2024	3133.00
4	यथोपरि	VKVNY/32	4948	08/07/2024	3133.00
5	यथोपरि	VKVNY/35	4957	01/10/2024	5856.50
6	यथोपरि	SDP/04	3146	01/02/2024	19402.50
7	यथोपरि	SDP/5	3147	10/02/2024	11868.00
8	यथोपरि	SDP/17	4949	01/08/2024	33406.00
9	यथोपरि	SDP/18	4956	01/10/2024	13770.00
10	यथोपरि	SDP/26	5821	01/01/2025	25111.50
11	यथोपरि	SDP/30	5834	11/02/2025	16617.50
12	यथोपरि	Relife/5	3579	01/03/2024	20363.50
13	यथोपरि	Relife/12	3136	02/01/2024	20050.00
14	यथोपरि	Relife/22	5830	06/02/2025	16665.00
15	यथोपरि	Relife/26	5329	17/11/2024	8942.00
16	यथोपरि	Own/14	3131	01/01/2024	8658.00
17	यथोपरि	Own/75	5316	10/11/2024	7123.00
18	यथोपरि	Own/75	5810	30/11/2024	5618.50

22

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Mawa Kaholan
Block Dev. Gagret
Teh. Ghanari Distt. Una (H.P.)

(24)

19	यथोपरि	Own/77	5824	15/01/2025	12741.50
20	यथोपरि	15thFC/24	3709	09/03/2024	3086.10
21	यथोपरि	15thFC/27	3705	01/03/2024	3038.50
22	यथोपरि	15thFC/31	3710	16/03/2024	2057.40
23	यथोपरि	15thFC/51	5328	17/11/2024	5237.50
24	यथोपरि	15thFC/60	5828	20/01/2025	38529.00
25	यथोपरि	15thFC/60	5827	16/01/2025	38529.00
26	यथोपरि	15thFC/66	5831	11/02/2025	3576.80
27	यथोपरि	15thFC/79	6012	22/03/2025	3561.50
28	यथोपरि	15thFC/80	5997	11/02/2025	6647.00
29	यथोपरि	15thFC/84	6001	12/02/2025	27263.75
30	यथोपरि	15thFC/84	6002	01/03/2025	27263.75
31	यथोपरि	15thFC/87	6010	12/03/2025	8942.00
32	यथोपरि	15thFC/98	6007	12/03/2025	11237.00
Grand Total					**418219.80**

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Mawa Kaholan
Block Dev. Gagret
Teh. Ghanari Distt. Una (H.P.)

23

वित् वर्ष 2024-25 में Rashpal Singh S/O Ran Singh को सामग्री की ढुलाई हेतु किए गये भुगतान राशि की सूचि

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या	बिल संख्या	दिनांक	राशि (GST को छोडकर)
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित	VKVNY/17	55	31/01/2024	1610.00
2	यथोपरि	VKVNY/20	74	01/04/2024	1460.00
3	यथोपरि	VKVNY/23	75	27/06/2024	3350.00
4	यथोपरि	VKVNY/33	89	01/11/2024	2390.00
5	यथोपरि	VKVNY/34	88	01/10/2024	9940.00
6	यथोपरि	SDP/01	58	09/02/2024	10840.00
7	यथोपरि	SDP/06	61	18/02/2024	6760.00
8	यथोपरि	SDP/12	77	16/08/2024	29265.00
9	यथोपरि	SDP/19	81	15/10/2024	11960.00
10	यथोपरि	SDP/27	97	15/01/2025	20350.00
11	यथोपरि	SDP/31	108	20/02/2025	14500.00
12	यथोपरि	Relife/01	57	30/01/2024	10840.00
13	यथोपरि	Relife/06	70	30/03/2024	11782.00
14	यथोपरि	Relife/21	93	10/02/2025	15475.00
15	यथोपरि	Relife/27	91	30/12/2024	7400.00
16	यथोपरि	Own/10	60	20/01/2024	6920.00
17	यथोपरि	Own/74	95	08/01/2025	10013.00
18	यथोपरि	Own/90	116	22/03/2025	10088.00

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Mawa Kaholan
Block Dev. Gagret
Teh. Ghanari Distt. Una (H.P.)

19	यथोपरि	15thFC/19	59	15/02/2024	10097.00
20	यथोपरि	15thFC/25	68	15/03/2024	2440.00
21	यथोपरि	15thFC/28	67	08/03/2024	2790.00
22	यथोपरि	15thFC/32	69	20/03/2024	1430.00
23	यथोपरि	15thFC/45	51	30/11/2023	1472.00
24	यथोपरि	15thFC/63	98	05/02/2025	52785.00
25	यथोपरि	15thFC/67	106	01/03/2025	3500.00
26	यथोपरि	15thFC/85	117	28/02/2025	41125.00
27	यथोपरि	15thFC/88	123	26/03/2025	7925.00
28	यथोपरि	15thFC/93	118	22/03/2025	17400.00
29	यथोपरि	15thFC/97	119	22/03/2025	9200.00
30	स्वच्छ भारत मिशन	SBM/13	51	30/11/2023	6874.00
31	यथोपरि	SBM/14	51	30/11/2023	3876.00
32	यथोपरि	SBM/15	50	01/11/2023	2160.00
33	यथोपरि	SBM/37	78	05/09/2024	4615.00
Grand Total					**352632.00**

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Mawa Kaholan
Block Dev. Gagret
Teh. Ghanari Distt. Una (H.P.)

25